पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री प्रेम रंजन पटेल, स०वि०स० श्री विक्रम कुँवर, स०वि०स० श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री रामदेव महतो, स०वि०स०	"एन०एच०डी०पी० फेज 4 के तहत एन०एच० 80 मोकामा से मुंगेर तक फोर लेन सड़क निर्माण की स्वीकृति वर्ष-2004 में दी गयी थी । सड़क का निर्माण फोर लेन की जगह टू लेन कर दिया गया । मोकामा से लक्खीसराय तक दस मीटर तथा लक्खीसराय से मुंगेर तक सात मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया है । मोकामा से लक्खीसराय के बीच बड़हिया में 7 कि०मी० तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया । सड़क का पूर्ण निर्माण नहीं होने के बावजूद टोल टैक्स की वसूली की जा रही है । कम चौड़ाई की सड़क का निर्माण के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाएँ होती हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है । अत: उक्त महत्वपूर्ण सड़क का फोर लेन निर्माण कराने, निर्माण कार्य पूर्ण होने तक टोल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	पथ निर्माण

1	2	3	4
2.	श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० डा० अब्दुल गफूर, स०वि०स० श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, स०वि०स०	"पूर्वी चम्पारण के बन्द मोतिहारी चीनी मिल पर किसानों के गन्ना बकाया 5.46 करोड़ के भुगतान हेतु, प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना ने विभागीय बैठक 19.05.2014 में मोतिहारी मिल के चेयरमैन के विरूद्ध कार्रवाई के लिए ईख पदाधिकारी, मोतिहारी को निर्देश दिया । उन्होंने विभागीय ज्ञापांक-1122, दिनांक 28.05.2014 द्वारा मिल के विरूद्ध अभियोजन तैयार कर ईख आयुक्त से अनुमोदित कर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है परन्तु फलाफल शून्य है । अतः गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	गन्ना उद्योग

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/14- 1021 / वि०स०, पटना, दिनांक- 10 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रतिः-बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग तथा गन्ना उद्योग विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/7/14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/14- 1021 / वि०स०, पटना, दिनांक- 10 जुलाई, 2014 ई० ।

प्रतिः-अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

10/7/14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।